FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अर्ज अदालत ________ मुकाम ________

जगदीश प्रसाद बनाम नाथर वगैरा

किस्म मुकदमा 128 LR मिस नं. 161 सन 2022

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
13/4/2022	अधिवक्ता वादी/प्रार्थी द्वारा पेश प्रकरण दर्ज रजि० किया जाकर प्रतिवादी/अप्रार्थीगण की तलबी जारी हो पत्रावली दिनांक 16/5/22 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी देवली	
16/5/22	पी.ओ. अवकाश/राजकार्य से/दौरे पर बाहर/दौरा पधारे है पत्रावली दिनांक 23/5/22 को पेश हो	
23/5/22	पी.ओ. अवकाश/राजकार्य से/दौरे पर बाहर/दौरा पधारे है पत्रावली दिनांक 26/5/22 को पेश हो	
26/5/22	अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट प्राप्त। अधिवक्ता प्रार्थी ने तहसीलदार रिपोर्ट का अवलोकन कर प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की। पत्रावली व तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय/आदेश पृथक से शामिल हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी देवली	
16/6/22	अधि. प्रार्थी ने प्रा. पत्र निर्णय संशोधन करने हेतु पेश किया जिसके अनुसार निर्णय दिनांक 26/5/22 में ग्राम दौलतपुरा के स्थान पर दौलपतपुरा हो गया जिसको दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। प्रार्थना पत्र व निर्णय का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय दिनांक 26/5/22 में अंकित ग्राम दौलपतपुरा की जगह दौलतपुरा पढ़ा व समझा जावे। आदेश दिनांक 16/6/22 निर्णय दिनांक 26/5/22 का अभिन्न अंग रहेगा। पत्रावली पुनः दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी देवली (टोंक)	

..यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली (टोंक)

..ल संख्या – 161/2022 निर्णय दिनांक :– 26/5/2022

..नवानी प्रार्थना पत्र –

1. जगदीश प्रसाद पुत्र श्रीलाल जाति मीणा निवासी दोलतपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
2. नन्दू देवी पत्नी स्व0 श्रीलाल जाति मीणा निवासी दोलतपुरा तहसील दूनी जिला टोंक राज0

–प्रार्थी पक्ष–

बनाम

तहसीलदार दूनी जिला टोंक राज0

–अप्रार्थी पक्ष–

प्रार्थना पत्र पत्थरगढी बाबत् अन्तर्गत धारा 128 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

आदेश

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, प्रार्थी को सुना गया। तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार आराजी खाता संख्या 101 खसरा नम्बर 17 रकबा 0.54 है0, खसरा नम्बर 241 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 273 रकबा 1.22 है0, खसरा नम्बर 280 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 282 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 284 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 484 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 491 रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर 492 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 52 रकबा 1.01 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 4.10 है0 वाके ग्राम दोलपतपुरा तहसील दूनी जिला टोंक, प्रार्थी पक्ष की खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजी भूमि है। उक्त भूमि पर किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही है व पडोसी खातेदारों से सीमा विवाद है, परन्तु अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार किसी भी पडोसी खातेदार से विवाद नही है।

अतः जमाबंदी संवत् **2073–76** में अंकित आराजी खाता संख्या 101 खसरा नम्बर 17 रकबा 0.54 है0, खसरा नम्बर 241 रकबा 0.22 है0, खसरा नम्बर 273 रकबा 1.22 है0, खसरा नम्बर 280 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 282 रकबा 0.06 है0, खसरा नम्बर 283 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 284 रकबा 0.04 है0, खसरा नम्बर 484 रकबा 0.18 है0, खसरा नम्बर 491 रकबा 0.38 है0, खसरा नम्बर 492 रकबा 0.19 है0, खसरा नम्बर 52 रकबा 1.01 है0 कुल किता 11 कुल रकबा 4.10 है0 वाके ग्राम दोलपतपुरा तहसील दूनी जिला टोंक, की विधिवत् पत्थरगढी की जाने हेतु तहसीलदार दूनी को मौका कमीश्नर बनाया जाता है और मौका कमीश्नर फीस 1000/– रू0 निर्धारित की जाकर एतदद्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी से पत्थरगढी कॉस्ट राशि नियमानुसार सीमाज्ञान शुल्क जमाकर उक्तानुसार पालना की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली